कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, गोरखपुर

पत्र संख्या–अ–24 / एफएस / 2013–14 दिनांकः 08/04/2014

सेवा में,

सहायक अभियन्ता
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।

विषयः– <u>भूखण्ड संख्या–686 व 686ए, मुहल्ला–मोहद्दीपुर, गोरखपुर में प्रस्तावित मैसर्स अम्बे प्रोजेक्ट प्रा0लि0, निदेशक श्री संदीप कुमार टेकड़ीवाल पुत्र स्व0 इन्द्र कुमार टेकड़ीवाल द्वारा मल्टी प्लेक्स चार स्क्रीन सिनेमा एवं कामर्शियल भवन हेतु स्वीकृत मानचित्र संख्या 261/2013 पर भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप अपने पत्रांक 9277/मान अनु0/गो0वि0प्रा0/2013–14 दिनांक 01.04.2014 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत भवन का अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रों में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का परीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण करने तथा अभिलेखों/मानचित्रों का परीक्षण करने पर विवरण निम्न प्रकार है।

<u>भवन की संरचनाः–</u>

1. कुल भूखण्ड एरिया 4415.3778 वर्ग मी0 ।
2. निर्मित भूतल कवर्ड एरिया 1719 वर्ग मी0।
3. प्रथम तल से ऊपरी तलों का टिपिकल कवर्ड एरिया प्रथम तल से द्वितीय तल तक 1485 वर्ग मीटर, तृतीय तल 1563 वर्ग मीटर तथा चतुर्थ एवं पंचम तल 1614 वर्ग मीटर है।
4. बेसमेन्ट प्रथम का कवर्ड एरिया पार्किंग 2607.9 वर्ग मी0।
   (2144 वर्ग मी0 पार्किंग + 436.9 वर्ग मी0 सर्विस)
5. बेसमेन्ट द्वितीय का कवर्ड एरिया पार्किंग 2607.9 वर्ग मी0।
   (1600 वर्ग मी0 पार्किंग + 1007.9 वर्ग मी0 सर्विस)
6. भवन की ऊँचाई 24 मीटर है। (Purchasable FAR सहित)
7. भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी–प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की मिश्रित अधिवास सिनेमा श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

<u>ढाँचागत व्यवस्था</u>

1. <u>पहुँच मार्ग</u> – भूखण्ड के सामने मानचित्रों में 30 मीटर रोड की चौड़ाई है।
2. <u>प्रवेश द्वार</u> की चौड़ाई 4.5मी0 जो मानक के अनुसार है।

08/04/14

Continue on Page

3. <u>सैटबैक</u> – प्रस्तावित भवन का सैटबैक निम्नवत है:–

ए0	अग्रभाग	12.00 मी0
बी0	पृष्ठ भाग	6.00 मी0
सी0	पार्श्व भाग प्रथम	6.00 मी0
डी0	पार्श्व भाग द्वितीय	6.00 मी0 है

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है। सैटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेंगे। सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा। अग्निशमन वाहन के पहुँच मार्ग/प्रवेश द्वार तथा कोने पर सेटबैक इस प्रकार रखे जाये ताकि न्यूनतम 20 मीटर टर्निंग सर्कल के साथ भवन तक पहुँच मार्ग एवं चारो तरफ सर्कुलेशन एरिया में अग्निशमन वाहन आसानी से आ जा सके। भवन के चारो तरफ छोड़े गये सैटबैक/खुला स्थान का सतह इस प्रकार बनायी जाये कि सैटबैक की सतह 45 टन तक भार वहन कर सके एवं जिससे फायर टेण्डर आसानी से आवागमन कर सके। सैटबैक क्षेत्र में भूमिगत टैंक बनाये जाने पर सलैब 45 टन भार वहन करने योग्य बनायी जाये तथा 45 टन भार वहन करने योग्य सलैब बनाये जाने का प्रमाण पत्र स्ट्रक्चरल अभियन्ता द्वारा प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

4. <u>निकास मार्ग</u> – मल्टी पलैक्स में कामर्शियल तलों/सिनेमा तलों से होते हुए जीने बेसमेन्ट से सीधे ऊपरी मंजिल तक जा रहे है। पूर्णतया "कामर्शियल" तलों हेतु जो तृतीय तल तक मानचित्र में प्रदर्शित है न्यूनतम दो जीने जिसमें एक जीना जो मात्र कामर्शियल तलों (तृतीय तलों) तक जाता हो निर्मित कराया जाय तथा एक वाह्य जीना (Open To Sky) भूतल से टैरिस तक जाता हो।

सभी जीने भूतल से अलग किये जायें जिससे बेसमेन्ट में अग्नि दुर्घटना होने पर धुआँ ऊपरी तलों पर न पहुँचे तथा एन0बी0सी0–2005 पार्ट–4 (Fire & Life Safety) के Clause 6.6.1.1 को ध्यान में रखते हुए सिनेमा तलों के जीनों से आवागमन कामर्शियल तलों पर न हो। यदि आपातकाल निकास जीना कामर्शियल तथा सिनेमा तलों द्वारा एक जीना ही प्रयोग में लाया जाता है तो जीने की लैण्डिंग तल पर 2 Hrs. Fire रेटिंग के स्वतः बन्द होने वाले फायर/स्मोक चैक डोर लगाते हुए Fire Eseape route में प्रेशराइजेशन प्रणाली अधिष्ठापित करायी जानी अनिवार्य होगी। अन्यथा की दशा में कामर्शियल तलों में प्रस्तावित एक जीने के अतिरिक्त वाह्य जीना (Open to sky) भूतल से टैरिस तक अधिष्ठापित कराना अनिवार्य होगा। उपरोक्त व्यवस्था सिनेमा तलों में उपस्थित जनमानस तथा कामर्शियल तलों में उपस्थित जनमानस की जीवन रक्षा के लिए एन0बी0सी0'2005 पार्ट–4 (Fire & Life Safety) के विभिन्न प्रस्तर को ध्यान में रखते हुए

[signature] 08/04/14

Continue on P...

प्रस्तावित किया जाता है। अतः जीनों की संख्या मल्टीप्लेक्स/मिश्रित अधिवास होने के कारण न्यूनतम निम्न प्रकार उपरोक्त उल्लेख को ध्यान में रखकर होगी।

1. सिनेमा तलों हेतु संख्या 02, प्रत्येक की चौड़ाई 02 मी0।
2. पूर्णतया कामर्शियल तलों (तृतीय तलों) तक एक जीना तथा एक वाह्य जीना जो भूतल से टैरिस तक जाता हो। नियमानुसार लिफ्ट की गणना जीनों में नहीं होगी।

5. <u>रिफ्यूज एरिया का विवरण</u>:– निल।

6. प्रस्तावित भवन मिश्रित अधिवास की श्रेणी में वर्गीकृत है। अतः भवन में Mixed Occupancy के अनुसार अग्निशमन खतरे को दृष्टिगत रखते हुए एन0बी0सी0 2005 पार्ट–4 के प्रस्तर 3.4.7 को ध्यान में रखते हुए कामर्शियल तृतीय तल तथा चतुर्थ एवं पंचम तल कामर्शियल भाग की छत एवं दीवारे 04 Hour Fire Resistance Rating से बनाया जाय। जिसके लिए निर्माण कार्य हेतु CBRI Roorki से डिजाईन, निर्माण एवं पूर्णता प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा अग्निशमन विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

<u>अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था</u>:– नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थायें पूर्ण की जानी अनिवार्य है:–

1. <u>भूमिगत टैंक</u>:– भूमिगत टैंक 200000 (दो लाख ली0) लीटर क्षमता का मानचित्र में प्राविधानित है।
2. <u>पम्प</u>:–अण्डर ग्राउण्ड टैंक के पास 2 मैन इलेक्ट्रिकल पम्प 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के एवं डीजल चालित पम्प क्षमता 2850 एल0पी0एम0, जॉकी पम्प 180 एल0पी0एम0 का अनिवार्य है।
3. <u>होजरील</u> – प्रस्तावित भवन में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई0एस0–3844 मानकों के अनुसार कराया जाना अनिवार्य है।
4. <u>वेटराइजर</u> एवं डाउन कमर सिस्टम–प्रस्तावित भवन में मानचित्र में वेटराईजर सिस्टम एनबीसी–2005 के मानकों के अनुरूप अनिवार्य है।
5. प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में यार्ड हाईड्रेण्ट्स होज केबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज तथा ब्रॉच पाइप तथा एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आई0एस0–13039 : 1991 के अनुसार कराना अनिवार्य है।
6. <u>सम्पूर्ण भवन में हस्तचालित इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम</u> – मैनुअल आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार कराया जाना अनिवार्य है।

J Sinn.
08/04/14.

Continue on Page

7. <u>स्वचालित डिटेक्शन एवं एलार्म सिस्टम</u>–बेसमेण्ट सहित सम्पूर्ण भवन में आटोमैटिक फायर एलार्म एवं डिटेक्शन एलार्म सिस्टम की व्यवस्था एनबीसी 2005 के मानकों के अनुसार कराया जाना अनिवार्य होगा।

8. <u>स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम</u> – बेसमेन्ट सहित सम्पूर्ण भवन में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 2005 मानक के अनुसाार कराया जाना अनिवार्य होगा।

9. <u>टैरिस टैंक</u> – प्रश्नगत भवन की टेरिस पर टैरिस टैंक 25000 ली0 क्षमता का स्थापित कराया जाना मानचित्र में प्रस्तावित है।

10 <u>टैरिस पम्प</u>–प्रश्नगत भवन के टैरिस टैंक के पास टेरिस पम्प क्षमता 900 L.P.M. स्थापित कराया जाना मानचित्र के अनुसार प्रस्तावित है।

11. <u>प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)</u>– प्रस्तावित भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0–2190 : 1992 के अनुसार कराया जाना अनिवार्य होगा।

12. <u>स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम</u> – वांछित है।

ए0 फायर चैकडोर, स्मोक चैक डोर, पेन्ट रूम, सर्विस रूम की लोकेशन व रेटिंग 2 घण्टा है।

बी0 सिस्टम की मैक अप एयर हेतु व्यवस्था अनिवार्य है।

सी0 स्मोक रिजरवायर एवं अनुमानित स्मोक लेयर आदि को आधारित करते हुए एक्स्ट्रेक्शन सिस्टम का तकनीकी विश्लेषण कराना अनिवार्य होगा।

13. <u>प्रेशराईजेशन प्रणाली</u> –

1. फायर स्केप जीना एवं अन्य आवश्यक स्थानों पर एनबीसी–2005 के अनुसार करायी जाय।
2. प्रेशराईजेशन सिस्टम, डिटेक्शन सिस्टम से इण्टरलिंग है जो एन0बी0सी0 के मानक के अनुसार करायी जाय। यदि मल्टीप्लैक्स (Contrally Air condining)) बनाया जाता है तो डिटेक्शन सिस्टम इण्टरलिंक कराया जाय।

14. <u>एग्जिट साईनेज</u>–सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साइनेज मानक के अनुसार कराया जाए।

15. <u>पी0ए0 सिस्टम</u> – सम्पूर्ण भवन में पी0ए0 सिस्टम एनबीसी–2005 के मानकों के अनुसार करायी जाए।

उपरोक्त नियमानुसार उल्लेखित अग्निशमन/जीव रक्षा व्यवस्था मानचित्र में दर्शाते हुए प्रत्येक तल का मानचित्र EXIT PLAN, FIRE PLAN एवं SITE PLAN के साथ इस कार्यालय में भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पहले उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

अतः उपरोक्त उल्लेखित शर्तों के आधार पर मै0 अम्बे प्रोजेक्ट प्रा0लि0, निदेशक, श्री संदीप कुमार टेकड़ीवाल पुत्र स्व0 इन्द्र कुमार टेकड़ीवाल निवासी मोहल्ला–मोहद्दीपुर, गोरखपुर को प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा

[signature]
08/05/14.

Continue on Page

भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा संबंधित सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली Bylaws for construction of Cinema building IS 4878, 1987 U.P. सिनेमा टोपोग्राफ रूल्स 1951 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा, अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गोरखपुर

प्रतिलिपि–संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस, मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
प्रतिलिपि–मै0 अम्बे प्रोजेक्ट प्रा0लि0, निदेशक, श्री संदीप कुमार टेकड़ीवाल पुत्र स्व0 इन्द्र कुमार टेकड़ीवाल निवासी मोहल्ला–मोहद्दीपुर, गोरखपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गोरखपुर